

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223643 CG-DL-E-10122020-223643

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542] No. 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2020/अग्रहायण 19, 1942

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2020/AGRAHAYANA 19, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

फा. सं. मानक/फोर्टिफिकेशन/विविध-03/एफ़एसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

आपत्तियां और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकारण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

6045 GI/2020 (1)

प्रारूप विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।
- ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। (2)
- खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 (जिन्हें इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया 2. है) के,-
 - (क) सुदृढ़ीकृत खाद्य में सूक्ष्मपोषक तत्वों पर मानकों का अनुपालन से संबन्धित विनियम 4 के उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात-
 - " (2) 15 किलोग्राम से अनधिक वजन वाले पैक किए गए परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेल विटामिन ए और विटामिन डी के साथ फोर्टिफ़ाइड किए जाएंगे और अनुसूची -I के खंड (2) में विनिर्दिष्ट स्तर का अनुपालन करेंगे।
 - (3) पैक्ड टोनड, डबल टोनड, स्किम्ड दुध या मानकीकृत दुध विटामिन ए और विटामिन डी के साथ फोर्टिफ़ाइड किए जाएंगे और अनुसूची-I के खंड (3) में विनिर्दिष्ट स्तर का अनुपालन करेंगे।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन .-III/4/असा./400/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फाइल सं. 11/03/विनियम/पौष्टिकीकरण/2014, दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

F. No. Stds/Fortification/Misc-03/FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice us hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Dlehi-110002, or may be sent at regulation@fssai.gov.in:

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

- 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 (herein after referred as said regulation)-
 - (A) in regulation 4 relating to "Compliance with Standards on Micronutrient Content in Fortified Foods" after sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(2) The packaged refined edible vegetable oil weighing not more than 15 kilograms shall be fortified with Vitamin A and Vitamin D and shall comply with the level specified in clause (2) of Schedule –I.

(3) The Packaged Toned, double toned, skimmed milk or standardized milk shall be fortified with Vitamin A and Vitamin D and shall comply with the level specified in clause (3) of Schedule –I.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./400/2020-21]

Note. The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number File No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2st August, 2018